



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9556

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 277 सन् 2026

श्री राजेश कुमार सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है। उसका तबादला गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से गोरखपुर जिले के बरहलगंज स्थित डेरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता बीमार हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्धारण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला गोरखपुर द्वारा किया जाना चाहिए।

4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी उक्त अभ्यावेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा। हालांकि, आदेश का लाभ याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही प्राप्त होगा।

14 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)